राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक : प. 3 (38) उप/2000 पार्ट–5 जयपुर, दिनांक : **31.03.2015**

अधिसूचना

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 15–ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियों यथा–सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबन्द नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को आवंटित भूमि की क़ीमत के बक़ाया समस्त किश्तों को दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक एक मुश्त जमा कराने पर देय ब्याज की राशि की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

उक्त अधिसूचना बजट घोषणा 2015-16 के क्रम में तथा वित्त विभाग की सहमति आई.डी. संख्या 111500089, दिनांक 11.03.2015 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

31/3/15

(राकेश राजोरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है –
1. निजी सचिव, मुख्यमन्त्री सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि इसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करवाकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
10. रक्षित पत्रावली।

31/3/15

शासन उप सचिव